लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 181

जिसका उत्तर बुधवार, 02 फरवरी, 2022 को दिया जाएगा

उपभोक्ता संरक्षण नियम

181. सुश्री मिमी चक्रवर्ती:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 के संबंध में विशेषज्ञों और उद्योग के हितधारकों के साथ परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किन व्यक्तियों और/या संस्थाओं से परामर्श किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार नियमों में संशोधनों को कब तक अधिसूचित और कार्यान्वित करेगी?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 के विरचन और उन्हें 23.07.2020 को अधिसूचित करने से पूर्व उद्योग निकायों, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों जैसे हितधारकों के साथ परामर्श किया है। इसके बाद, वर्ष 2021 जून में नियम के संशोधित मसौदों को व्यापक परामर्श के लिए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं तथा तत्पश्चात संशोधित मसौदों पर विस्तृत पारस्परिक विचार-विमर्श आयोजित किए गए हैं।

*****